

करीब दृश्य

दृश्य का कार्यकारी नम लघुदस्तावेज जल

सबका पत्र हुई। वकूलाय कायम  
1/पृथ्वीसिंह/सीपीसी कायम  
1/2/वकूलाय कायम कायम/वीरिण  
1/3/वकूलाय कायम कायम/वीरिण  
16.02.2023 कायम कायम

17.02.2023

दिनांक 16.02.2023 को इकजाई तारीख पेशी के  
पर पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित।  
वकील वादीगण ने अपने द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कायम  
मुकामान वादी संख्या 1/2 रणजीत सिंह दिनांकित 07.09.2021  
वादी संख्या 1/4 भवानीसिंह दिनांकित 18.11.2013 एवं प्रार्थना  
पत्र कायम मुकामान् प्रतिवादी संख्या 3 मोहनसिंह दिनांकित  
16.04.2018 को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जिस पर  
वकील प्रतिवादीगण संख्या 3 के विधिक वारिसान की ओर से  
उपस्थित अधिवक्ता श्री जे0पी0 गूर्जर एड0 ने प्रार्थना पत्र कायम  
मुकामान् को स्वीकार किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की।  
अतः वकील प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र  
कायम मुकामान् वादी संख्या 1/2 रणजीत सिंह दिनांकित  
07.09.2021, वादी संख्या 1/4 भवानी सिंह दिनांकित 18.11.2013  
एवं प्रार्थना पत्र कायम मुकामान् प्रतिवादी संख्या 3 मोहनसिंह  
दिनांकित 16.04.2018 को स्वीकार किये जाने की अनुमति दी  
जाती है तथा मृतक वादी संख्या 1/2, 1/4 एवं मृतक प्रतिवादी  
संख्या 3 के विधिक वारिसान् को रिकार्ड पर लिया जाता है।  
वकील वादीगण संशोधित शीर्षक वाद पत्र पेश करें। इसके साथ  
ही वकील वादीगण ने प्रार्थी श्री पृथ्वीसिंह पुत्र भागीरथ सिंह के  
द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री रामजालाल मिश्रा एड0 के द्वारा प्रस्तुत  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को प्रार्थी  
पृथ्वीसिंह की दिनांक 07.07.2020 को मृत्यु हो जाने से प्रार्थना  
पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को स्वीकार किये जाने  
का निवेदन किया गया। जिस पर वकील वादीगण को सुना गया  
तथा पत्रावली पर उपलब्ध फर्द दरतावेज के संलग्न प्रार्थी पृथ्वी




सतीदान जनार्दन अशोक शर्मा

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तालीम  
में जारी हुए

सिंह शेखावत के मृत्यु प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया।  
जिनके अवलोकन से प्रार्थी पृथ्वीसिंह शेखावत की मृत्यु होना स्पष्ट  
रूप से प्रकट होती है। अतः ऐसी स्थिति में अधिवक्ता श्री  
रामजीलाल मिश्रा एड० द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ. ... आदेश 1  
नियम 10 सीपीसी को खारिज किया जाता है। पत्रावली पूर्व  
आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु एवं वास्ते पेश होने संशोधित  
शीर्षक वादपत्र बाबत प्रतिवादी संख्या 3 एवं पेश होने जवाब दावा  
प्रतिवादीगण संख्या 3/1 से 3/4 पत्रावली दिनांक 13.03.2023  
को पेश हो।

  
दिलीप सिंह  
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर  
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)